



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022024-252167
CG-DL-E-16022024-252167

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, शुक्रवार, फरवरी 16, 2024/माघ 27, 1945

No. 103]

NEW DELHI, FRIDAY, FEBRUARY 16, 2024/MAGHA 27, 1945

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2024

सा.का.नि. 114(अ).—जबकि भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार की दिनांक 06 दिसंबर, 2023 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि 892 (अ.) के माध्यम से दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धारा (1) द्वारा यथा अपेक्षित दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में आगे और संशोधन के लिए कतिपय नियमों का एक मसौदा प्रकाशित किया गया था जिसमें आधिकारिक राजपत्र की उक्त अधिसूचना वाली प्रतियां जनता को जिस तारीख से उपलब्ध कराई गई थी, उस तारीख से तीस दिनों की समाप्ति से पहले, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे।

और जबकि उक्त अधिसूचना की प्रतियां 13 दिसंबर, 2023 को जनता के लिए उपलब्ध कराई गई थीं;

और जबकि उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया गया है;

अब, इसलिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 का 49) की धारा 100 की उप-धाराओं (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

(1) इन नियमों को दिव्यांगजन अधिकार (संशोधन) नियमावली, 2024 कहा जाए।

(2) ये आधिकारिक राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 में, नियम (15) में, उप-नियम (1) में, खंड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खंड को अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(ट) दिनांक 8 नवंबर, 2023 के अधिसूचना संख्या फा. सं. सीडी-11053/63/2021-समन्वय के माध्यम से पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार पत्तन क्षेत्र में सुगम्यता मानकों के लिए दिशानिर्देश।

[सं. आई-14002/15/2021-एआईसी]

राजीव शर्मा, संयुक्त सचिव

नोट: दिव्यांगजन अधिकार नियमावली, 2017 को दिनांक 15 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या. सा.का.नि. 591(अ.) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था और दिनांक 02 जनवरी, 2024 की सा.का.नि. 07 (अ.) के जरिए पिछली बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

[Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2024

G.S.R. 114(E).—Whereas a draft of certain rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published, as required by sub-section (1) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), *vide* notification of the Government of India the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Empowerment of Persons with Disabilities number G.S.R. 892 (E), dated the 06th December 2023 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (i) inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

And whereas copies of the said notification were made available to the public on the 13th December 2023;

And whereas the objections and suggestions received from the public in respect of the said notification have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 100 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, namely:-

(1) These rules may be called the Rights of Persons with Disabilities (Amendment) Rules, 2024.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017, in rule 15, in sub-rule (1), after clause (j), the following clause shall be inserted, namely:-

“(k) Guidelines for Accessibility Standards in Port Sector, as specified in the notification of the Ministry of Port Shipping and Waterways, Government of India *vide* notification number F. No. CD-11053/63/2021-Coord, dated the 8th November, 2023.”

[No. I-14002/15/2021-AIC]

RAJEEV SHARMA, Jt. Secy.

Note : The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 591 (E), dated the 15th June, 2017 and was last amended *vide* G.S.R. 07 (E), dated the 02nd January 2024.